



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 1319 सन् 2026

सोम @ शारदा प्रसाद

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : बचन सिंह, विमल कुमार पाण्डेय

उत्तरदाता के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी है:-

1) इसलिए, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय वाद संख्या 490/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या: डी202502250000490 (सोम @ शारदा प्रसाद बनाम राज्य) में विद्वान न्यायालय कलेक्टर/ जिला अधिकारी तहसील खागा, जिला फतेहपुर, मंडल प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 05.08.2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की कृपा करें।

2) इसलिए, यह विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय दिनांक 05.08.2025 के विद्वान न्यायालय कलेक्टर/जिला अधिकारी, तहसील खागा, जिला फतेहपुर, मंडल प्रयागराज द्वारा वाद संख्या 490/2025 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या: डी202502250000490 (सोम @ शारदा प्रसाद बनाम राज्य) में पारित आक्षेपित आदेश पर कृपापूर्वक रोक लगाने की कृपा करें।

2. रिट याचिका में निहित संक्षेप में तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 02226 सन् 2020,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202002250302226 के रूप में दर्ज किया गया था। उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा दिनांक 04.12.2023 के आदेश के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया गया था। उपरोक्त आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को बेदखल कर दिया गया था।

3. चूंकि उपरोक्त आदेश एक-पक्षीय तरीके से पारित किया गया था, इसलिए एक रिकॉल आवेदन दायर किया गया था जिसे वाद संख्या आरएसटी/356/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202502250300356 के रूप में दर्ज किया गया था और इसे दिनांक 10.01.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त के विरुद्ध व्यथित होकर, धारा 67(5) के अधीन वैधानिक अपील दायर की गई थी जिसे वाद संख्या 490 सन् 2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202502250000490 के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त अपील को जिला अधिकारी, तहसील-खागा, जिला फतेहपुर, मंडल प्रयागराज द्वारा 05.08.2025 को खारिज कर दिया गया।

4. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित आदेश न केवल एक-पक्षीय आदेश है, बल्कि यह बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है। उपरोक्त के अवलोकन से, न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि उपरोक्त आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया था, इसलिए यह रद्द किए जाने योग्य है।

5. यद्यपि उपरोक्त तथ्यों पर उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपील में पारित अपने आदेश में विधिवत टिप्पणी की गई थी, लेकिन पूरे आदेश में इसे ध्यान में नहीं रखा गया है, इसलिए उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपील में पारित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

6. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश 2023 (1) एडीजे 154 में रिपोर्ट किए गए ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में पारित पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, इसलिए ये रद्द किए जाने योग्य हैं।

7. इस तथ्य को उत्तरदातागण के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता संख्या 3- सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील-खागा, जिला फतेहपुर, मंडल प्रयागराज द्वारा वाद संख्या 02226 सन् 2020, में कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202002250302226, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अधीन पारित आदेश दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



04.12.2023 के साथ-साथ कलेक्टर/जिला अधिकारी, तहसील-खागा, जिला: फतेहपुर, मंडल: प्रयागराज द्वारा वाद संख्या 490/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202502250000490 (सोम @ शारदा प्रसाद बनाम राज्य) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अधीन पारित आदेश दिनांक 05.08.2025, **ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, जो रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

9. रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

10. उत्तरदाता संख्या 3/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील-खागा, जिला फतेहपुर, मंडल प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि **ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में निर्णय और आदेश दिनांक 02.12.2022 के पैराग्राफ -74 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः और शीघ्रता से चार महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फरवरी 4, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"